



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की मंगलवार, दिनांक 30.05.2023 को

अपराह्न 03.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.05.2023 के कार्यवृत्त को सम्मूष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ 01 से 02 तक)
टीप: कार्यवृत्त संलग्न है।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.04.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

स्थायी संबद्धता

- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला-गरियाबंद	बी.ए.- आ.पा., अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, हिंदी साहित्य	2022-23	1. डॉ. व्यास दुबे, सांख्यिकी अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		बी.एस-सी. (बायो) आ.पा., वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र		2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		बी.एस-सी. (गणित)- आ.पा., गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी		3. डॉ. एस.के. प्रसाद, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		बी.काम. सभी अनिवार्य विषय		4. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शास. महा. कुरुद
		एम.ए. अंग्रेजी		5. डॉ. राजीव तिवारी, संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
		पी.जी.डी.सी.ए.		6. डॉ. संजय कुमार कंप्यूटर अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 20.04.2023

- महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं - स्वयं के भवन में संचालित है।
- महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता - हाँ
- यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता - हाँ
- प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता - प्रायोगिक विषय में अतिरिक्त उपकरणों को क्रय किए जाने की आवश्यकता है। कंप्यूटर प्रयोगशाला में 10 कंप्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता - बी.ए. की कक्षाओं के लिए समाजशास्त्र एवं भूगोल, बी.एस-सी. में वनस्पतिशास्त्र रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं बी.कॉम तथा एम.ए. अंग्रेजी विषयार्कें में एक-एक सहायक प्राध्यापक की नियमित नियुक्ति आवश्यक है। कंप्यूटर विषय के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है।

06. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – ग्रंथपाल के पद की स्वीकृति एवं पद स्थापना की आवश्यकता है। एम.ए. अंग्रेजी में रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) तथा अन्य स्नातक के विषयों में रु. 25,000-25,000/- मूल्य की पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता है।
07. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ –
- (1) महाविद्यालय में स्मार्ट बोर्ड वाई-फाई से सम्बद्ध है, 02 LCD प्रोजेक्टर एवं कम्प्यूटर लैब में 18 कम्प्यूटर है।
 - (2) महाविद्यालय ने नैक मूल्यांकन दिनांक 24-25 जनवरी 2023 को कराया गया एवं C ग्रेड मिला।
08. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – क्रीड़ा अधिकारी के पद की स्वीकृति एवं पदस्थापना की आवश्यकता है।
09. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – नियमित प्राचार्य की नियुक्ति की आवश्यकता है तथा बिनदु क्रमांक 08, 09, 10 एवं 13 में उल्लेखित कमियों को पूरा करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।


04. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 08.05.2023 के कार्यवृत्त क्रमांक 1963/अका./बैठक/2023, दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा पर विचार करना।

टीप : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर के पत्र क्र. 356/आउशि/गु.प्र./2023 दिनांक 12.04.2023 एवं पत्र क्र. 365/95/आउशि/गु.प्र./2023 दिनांक 01.05.2023 के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन एवं समय-सीमा पर लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में कुलपति जी की अध्यक्षता में कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में समस्त अध्ययनशा के विभागध्यक्ष, समस्त विभागों के विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण एवं समस्त अध्ययन मंडल के अध्यक्षों की आयोजित बैठक दिनांक 08.05.2023 के कार्यवृत्त क्रमांक 1963/अका./बैठक/2023 रायपुर, दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा हेतु विद्या-परिषद् की स्थाई समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

05. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022-23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23)
2	बुढान शाह जी शास. महा. तेंदुकोना, जिला-महासमुंद (2020-21 एवं 2021-22)

06. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।


 20/5/23
 कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 1929 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023

रायपुर, दिनांक 04 / 05 / 2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 04.05.2023 को अपराह्न 01:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
4. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
5. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
8. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
9. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
10. डॉ. बी.एस. ठाकुर	—	विशेष आमंत्रित
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

1. रिक्त शैक्षणिक पदों के भर्ती के लिए विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर के संबंध में नीति निर्धारण करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक (1) एफ 3-50/2005/उ.शि./38 रायपुर, दिनांक 01.05.2006 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 25 से 50 तक (2) एफ 5-5/2014/38-2 रायपुर, दिनांक 08.07.2014 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 51 (3) एफ 3-14/2014/38-2 रायपुर, दिनांक 06.09.2014 एवं एफ 3-2/2017/38-2 नया रायपुर, दिनांक 6 नवंबर, 2017 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 52 (4) क्रमांक 3117/5453/2014/38-2 नया रायपुर, दिनांक 03.08.2015 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 53 (5) क्रमांक एफ 3-9/2017/38-2 नया रायपुर, दिनांक 11.10.2017 के सापेक्ष सेटअप क्रमांक 54 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को प्रदान किए गए शैक्षणिक पदों के सेटअप के अनुक्रम में विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।


उपर्युक्तानुसार आरक्षण रोस्टर निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं का क्रम निम्नानुसार होगा -


अध्ययनशाला का नाम	उपर्युक्त पत्रों के अनुसार सेटअप में क्रमांक	विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए क्रमांक
भूगोल अध्ययनशाला	25	01
समाजशास्त्र अध्ययनशाला	26	02
मानव विज्ञान अध्ययनशाला	27	03
मनोविज्ञान अध्ययनशाला	28	04
साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला	29	05
अर्थशास्त्र अध्ययनशाला	30	06
इतिहास अध्ययनशाला	31	07

भौतिक अध्ययनशाला	32	08
गणित अध्ययनशाला	33	09
सांख्यिकी अध्ययनशाला	34	10
विज्ञान एवं उपकरण केंद्र	35	**
विधि अध्ययनशाला	36	11
कम्प्यूटर अध्ययनशाला	37	12
रसायन अध्ययनशाला	38	13
भू-विज्ञान अध्ययनशाला	39	14
पं. सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ	40	**
क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र	41	15
तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा अध्ययनशाला	42	16
पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला	43	17
इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला	44	18
शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला	45	19
जैविकी अध्ययनशाला	46	20
फार्मसी अध्ययनशाला	47	21
बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला	48	22
प्रबंध संस्थान	49	23
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग	50	24
अध्यापक शिक्षा संस्थान	51	25
मूल विज्ञान केंद्र	52	26
हिन्दी अध्ययनशाला	53	27
पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला	54	28

- ** टीप 1. उपरोक्त तालिका के संदर्भ में सेटअप क्रमांक 35 (विज्ञान एवं उपकरण केन्द्र) में शैक्षणिक पद स्वीकृत नहीं है तथा सेटअप क्रमांक 40 (पं. सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ) अध्ययनशाला नहीं है। अतः संदर्भित केंद्र अध्ययनशालाओं हेतु प्रस्तावित आरक्षण रोस्टर में सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं।
2. आगामी समय में विश्वविद्यालय को नए अध्ययनशालाओं के लिए प्राप्त पद पत्र प्राप्ति के परिपालन में बढ़ते अनुक्रम में होगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1630 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 05 / 05 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)

अध्यक्ष की अनुमति से

नानकचंद रमेश अग्रवाल कला वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा जिला-रायपुर, के संबंध में संक्षेपिका-

- 1 महाविद्यालय के अध्यक्ष/सचिव ने अपने पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से संचालन समिति द्वारा सत्र 2017-18 से महाविद्यालय बंद करने की अनुमति मांगी है ।
- 2 विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.06.2017 में नानकचंद रमेश अग्रवाल, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा, रायपुर को बंद करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि-जानकारी अधूरी होने के कारण महाविद्यालय के आवेदन के आधार पर प्रथम वर्ष में सत्र 2017-18 से प्रवेश को शून्य किया गया एवं शासन से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण पुनः प्रस्तुत किये जाए। उपरोक्त निर्णय का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.07.2017 में किया गया ।
- 3 तदनुसार महाविद्यालय को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4479/अका./2017 दिनांक 19.07.2017 एवं पत्र क्रमांक 2272/अका./2021 दिनांक 24.07.2021 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया । महाविद्यालय से उक्त पत्र के संबंध में कार्यवाही की जानकारी आज पर्यन्त अप्राप्त है ।
- 4 विश्वविद्यालय से आज की तिथि तक संबद्ध होने पर इनकी सत्र 2017-18 से महाविद्यालय की वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क जमा नहीं होने से, ऑडिट आपत्ति, वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 प्राप्त हुआ है ।
- 5 परीक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार, महाविद्यालय में सत्र 2017-18 से 2022-23 तक छात्रों का प्रवेश निरंक है ।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में परिनियम 27 की कंडिका 9 में 'If, for any reason, a College is unable to impart instruction for two years in any subject for which it is granted affiliation, such affiliation shall be regarded as having lapsed.' के प्रावधानानुसार महाविद्यालय की संबद्धता वापस लिए जाने के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक में अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन पश्चात् शासन को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पत्र प्रेषित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है ।